कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 103/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 16.03.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 16.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न **कार्यवाहियां की गयी।**

आजमगढ़ पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल
उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा की द्वितीय पाली में महिला अभ्यर्थी को समय से परीक्षा केन्द्र पहुँचाने वाले 05 पुलिस कर्मियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

➡ दिनांक **15.03.2026** को आयोजित *उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा* की द्वितीय पाली के दौरान एक महिला अभ्यर्थी **कुमारी रूक्मनी पुत्री केशव लाल** का परीक्षा केन्द्र **राजकीय इंटर कॉलेज जमुड़ी शाहगढ़, सठियांव, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़** निर्धारित था, किन्तु वह असमंजस में **राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, रैदोपुर, थाना कोतवाली, आजमगढ़** पहुँच गई थी।

➡ उक्त महिला अभ्यर्थी को वहाँ उपस्थित **प्रभारी यूपी-112 श्री अभय राज मिश्रा** द्वारा स्थिति को संज्ञान में लेते हुए तत्काल त्वरित कार्रवाई की गई। उनके द्वारा मौके पर ड्यूटी पर तैनात **पीआरवी-5385 थाना कोतवाली** की टीम के माध्यम से महिला अभ्यर्थी को समय रहते उसके वास्तविक परीक्षा केन्द्र **राजकीय इंटर कॉलेज जमुड़ी शाहगढ़, सठियांव, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़** पहुँचाया गया, जिससे वह निर्धारित समय पर परीक्षा में सम्मिलित हो सकी। इस सराहनीय सहयोग के लिए महिला अभ्यर्थी द्वारा आजमगढ़ पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

➡ उक्त सराहनीय एवं मानवीय कार्य के लिए दिनांक **16.03.2026** को **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार** द्वारा **पुलिस कार्यालय, आजमगढ़** में यूपी-112 प्रभारी सहित कुल **05 पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित** किया गया।

➡ इस अवसर पर **अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुवन कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री आस्था जायसवाल तथा क्षेत्राधिकारी फूलपुर श्री किरन पाल सिंह** भी उपस्थित रहे।

प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले पुलिस कर्मियों का विवरण निम्नवत है—

1. प्रभारी निरीक्षक डायल-112 श्री अभय राज मिश्रा, जनपद आजमगढ़
2. मुख्य आरक्षी राज किशोर सिंह, पीआरवी-5385, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
3. महिला आरक्षी रेनु कुमारी, पीआरवी-5385, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
4. महिला आरक्षी अनिता देवी, पीआरवी-5385, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
5. आरक्षी चालक विनोद यादव, पीआरवी-5385, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक – 16.03.2026
थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़
जिला बदर अपराधी गिरफ्तार

घटना का पूर्व विवरण –
अभियुक्त **राजकुमार उर्फ रामकुमार यादव पुत्र लौटन यादव निवासी ग्राम सहबानीपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़** के विरुद्ध माननीय अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व) जनपद आजमगढ़ द्वारा वाद में पारित आदेश दिनांक **29.01.2026** के तहत अभियुक्त को **04 माह के लिए जनपद आजमगढ़ की सीमा से जिला बदर** किया गया था। उक्त आदेश की जानकारी अभियुक्त को विधिवत दी गई थी तथा क्षेत्र में डुगडुगी/मुनादी भी कराई गई थी। इसके बावजूद अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए जनपद की सीमा में पाया जाना **उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 10** के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
घटना का संक्षिप्त विवरण –
दिनांक **16.03.2026** को उ0नि0 **यश सिंह पटेल** मय उ0नि0 **श्याम कुमार दूबे** तथा हमराही कर्मचारी **हे0का0 इन्द्रमणि पटेल व हे0का0 सुरेन्द्र कुमार निषाद** के साथ रात्रि गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि **जिला बदर अपराधी राजकुमार उर्फ रामकुमार** जिला बदर आदेश का उल्लंघन करते हुए **अहरौला सब्जी मंडी** क्षेत्र में मौजूद है। प्राप्त सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दबिश दी गई तथा **समय करीब 08:20 बजे** अभियुक्त को **सब्जी मंडी अहरौला** से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना अहरौला पर **मु0अ0सं0 67/26 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970** पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
पंजीकृत अभियोग –
मु0अ0सं0 67/26 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त –
राजकुमार उर्फ रामकुमार यादव पुत्र लौटन यादव निवासी ग्राम सहबानीपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष।
आपराधिक इतिहास –
1. मु0अ0सं0 297/2024 धारा 3(1) सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
2. mu0अ0सं0 191/2023 धारा 323/325/452/504/506 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 67/26 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –
- उ0नि0 यश सिंह पटेल, चौकी प्रभारी माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
- उ0नि0 श्याम कुमार दूबे, थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
- हे0का0 इन्द्रमणि पटेल, थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
- हे0का0 सुरेन्द्र कुमार निषाद, थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना – कोतवाली, जनपद आजमगढ़

साइबर ठगी के 48,000 रुपये पीड़ित को वापस कराए गए

घटना का विवरण –

आवेदक आदर्श पुत्र राम सिंह निवासी सिविल लाइन थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली स्थित साइबर हेल्प डेस्क पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके क्रेडिट कार्ड से उसकी जानकारी के बिना लगभग 48,000 रुपये की धनराशि कट गई है।

प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर साइबर हेल्प डेस्क, थाना कोतवाली द्वारा प्रकरण की जांच की गई। जांच के उपरांत कोतवाली साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित बैंक/पोर्टल के माध्यम से उक्त धनराशि को होल्ड कराया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए 48,000 रुपये की पूरी धनराशि आवेदक के खाते में वापस कराई गई।

इस पर आवेदक द्वारा आजमगढ़ पुलिस का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही आवेदक को भविष्य में साइबर अपराध से बचाव के संबंध में जागरूक किया गया कि यदि कभी भी साइबर फ्रॉड की घटना होती है तो तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in

वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें, या अपने नजदीकी थाने पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क को सूचित करें।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम –

उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

का0 नीरज कुमार, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

का0 अभय सिंह, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़